प्रेस विज्ञप्ति

सीएसई द्वारा किये गए अध्ययन ने दिखाया है कि ई-कचरेकी रीसाइक्लिंग से मुरादाबाद में भारी धातु संदूषण हो रहा है

- **मुरादाबाद में प्रतिदिन भारत इस्तेमाल हुए सभी पीसीबी का 50% और 90 टन ई-कचरा निकलता है**
- **सीएसई में 5 स्थानों से मिट्टी और पानी के नमूने लिए गए**
- **भारत में मिट्टी संबंधी भारी धातु संदूषण मानक नहीं है**
- **मिट्टी में सामान्य की तुलना में जिंक की 5 गुना ज्यादा मात्रा (यू.एस. मानकों के अनुसार) और पानी में पारे की 8 गुना ज्यादा मात्रा**
- **सीएसई ने ई-रिसाइकिलिंग उद्योग के वैधीकरण और भारी धातुओं की वजह से होने वाले मिट्टी संदूषण के संबंध में मानक तैयार करने के लिए अनुशंसा की है।**

मुरादाबाद/ नई दिल्ली, 24 सितंबर: सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च (**सीएसई**) द्वारा मुरादाबाद के ई-कचरा उद्योगों के संबंध में किए गए अध्ययन में शहर में और इसके आसपास भारी धातुओं की वजह से अत्यधिक संदूषण पाया गया है। मुरादाबाद अपने ई-कचरा **रीसाइक्लिंग** उद्योगों की वजह से जाना जाता है। यह शहर गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी रामगंगा के तट पर स्थित है। सीएसई ने पूरी नदी में से 5 क्षेत्रों से मिट्टी और पानी के नमूने लिए थे। यह पानी शहर के निवासियों द्वारा कपड़े धोने के लिए और नदी के आस-पास बसे क्षेत्रों में पीने के लिए प्रयुक्त होता है।

चूंकि भारत में मिट्टी के भारी धातु के संदूषण के अध्ययन के लिए कोई मानक नहीं है अत: सीएसई ने परिणामों की तुलना कनाडियाई और यूएस पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (यूएसईपीए) के मानकों से की। नदी में एक किलोमीटर दूर से लिए गए मिट्टी के नमूनों में जिंक की मात्रा यूएसईपीए के मानकों की तुलना में 15 गुना ज्यादा होनी पाई गई थी जबकि तांबे की मात्रा 5

गुना ज्यादा थी। नदी के तल से लिए गए मिट्टी के नमूनों में क्रोमियम की मात्रा कनाडियाई मानकों की तुलना में दोगुनी और कैडमियम की मात्रा 13 गुना ज्यादा थी।

पानी के नमूनों के भी परिणाम ऐसे ही निकले। रामगंगा नदीसे लिए गए पानी के नमूनों में पारे की मात्रा भारतीय मानक की तुलना में 8 गुना ज्यादा थी। इसमें आर्सेनिक के अंश भी पाए गए थे। सीएसई ने नवाबपुरा, करूला, दसवाघाट और रहमत नगर से और पास ही के गांव भोजपुर, जो ई-कचरे के रखरखाव का बड़ा केंद्र है, से ये नमूने लिए थे जहां अधिकतर आबादी ई-कचरे के रख रखाव में लगी हुई है। इन नमूनों की जांच सीएसई की नई दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में की गई थी।

मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट दीपक अग्रवाल के वक्तव्य को इस अध्ययन में दिया है दिया जिन्होंने कहा: भारत में प्रयुक्त सभी पीसीबी (प्रिंटिड सर्किट बोर्ड)का 50 प्रतिशत मुरादाबाद में ही निकलता है। उन्होंने बताया कि इस शहर में प्रतिदिन लगभग 9 टन ई-कचरा निकलता है। सीएसई के उप महानिदेशक चंद्र भूषण ने कहा “शहर को इतनी बड़ी मात्रा में ई-कचरे से पाटने की वजह से इस समस्या से निपटने के लिए ढांचागत तंत्रों की आवश्यकता है।”

स्वास्थ्य पर प्रभाव

इस अध्ययन में उन विशेषज्ञों का उद्धरण दिया गया है जिन्होंने यह आधिकारिक वक्तव्य दिया है कि मुरादाबाद की मिट्टी और पानी में ऐसी भारी धातुएं हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं एवं इनसे कैंसर सहित गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। “पारे तथा आर्सेनिक की उच्च मात्रा से चिरकालिक विषाक्तता हो सकती है। मुरादाबाद में एशियन अस्पताल के निदेशक, नवनीत अग्रवाल ने बताया कि ऐसी विषाक्तता का पता लगाने हेतु की जाने वाली जांचें प्राय: महंगी होती हैं और उन्हें कोई भी कोई नहीं करवाता है। मछली और अन्य जलीय जीवों में जैव-संचयन के जरिए पारा खाद्य श्रृंखला में चला जाता है। यह एक ज्ञात तंत्रिकाविष है और मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र के समुचित कामकाज को बाधित करता है।

तथापि, भारी धातुओं वाले प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का या तो पता नहीं चल पाता है अथवा उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। एक और चिकित्सक ने बताया कि जिंक, कोबाल्ट और निकल की उच्च मात्रा से कोई भी नैदानिक समस्या होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उनसे

उप-नैदानिक समस्याएं हो सकती हैं जिनका केवल लक्षणों के आधार पर ही पता नहीं लगाया जा सकता है, परंतु वे बनी रहती हैं।

सीएसई की प्रदूषण अनुवीक्षण प्रयोगशाला के उप प्रमुख रमाकांत साहू ने कहा: "देश में मिट्टी संदूषण संबंधी मानक अथवा मानदंड तक नहीं है। हमें मुरादाबाद जैसे शहरों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए उन्हें तैयार करने की जरूरत है। रामंगगा नदी के दोनों तटों पर होने वाले कार्यकलापों पर भी निगरानी रखने की जरूरत है।"

अध्ययन का अभाव

अग्रवाल ने यह भी कहा कि ऐसा कोई अध्ययन अथवा स्वास्थ्य आकलन नहीं हुआ जिससे अधिकाधिक सांस के रोगों तथा शहर में ई-कचरे के कार्यकलापों के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सके, परंतु उन्होंने यह बताया कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सांस के विकार के मामलों में वृद्धि हुई जहां पीसीबी को खोलने तथा छंटाई का कार्य किया जाता था। उन्होंने बताया कि वे गरीब लोग आसानी से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और इसलिए ई-कचरे से संबंधित कार्य की वजह से पड़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का पता लगाना मुश्किल था।

रिसाइकिलिंग को वैध बनाना

विशेषज्ञों ने कहा है कि चूंकि मुरादाबाद में ई-कचरे की **रीसाइक्लिंग** का किया जाने वाला अधिकतर कार्य अवैध था, अत: सुरक्षा संबंधी मानक नहीं अपनाए जा रहे थे। विखंडन और रिसाइकिलिंग, दोनों ही पद्धतियां अपरिष्कृत हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि परिणामस्वरूप 40-50 प्रतिशत धातुएं निष्कर्षित किए बगैर रह जाती हैं और संदूषण पैदा करती हैं। अध्ययन में यह बताया गया है कि उत्पादकों को उनके उत्पादों द्वारा होने वाले संदूषण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। भूषण ने कहा कि "इलैक्ट्रानिक के उत्पादकों को अपने उत्पादों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है नहीं तो ई-कचरा मुरादाबाद में और अनौपचारिक क्षेत्रों में डाला जाता रहेगा।"

सीएसई ने यह सुझाव भी दिया है कि मुरादाबाद को पीतल के केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने के अलावा सरकार को इसे एक ई-कचरे/ पीसीबी कचरा विखंडन केंद्र के रूप में भी बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कदम उठाने से यह सुनिश्चित होगा कि कारोबार वैध हो जाएगा तथा कार्य संबंधी स्थितियां सुरक्षात्मक हो जाएंगी। इससे शहर में निवेश आकर्षितकरने में भी मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रामगंगा नदी के तटों पर ई-कचरे को खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से भी संदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के लिए यहाँ क्लिक करें: **http://www.cseindia.org/userfiles/E-toxic-trail.pdf**
पूरी रिपोर्ट के लिए यहाँ क्लिक करें: **http://www.cseindia.org/userfiles/moradabad-e-waste.pdf**

अधिक जानकारी के लिए अनुपम श्रीवास्तव से संपर्क करें/ Phone: 99100 93893